2. प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1 प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण

- *स्थापित करने की सहमति प्राप्त करने के प्रावधान नमूना जांचित 88 प्रतिशत ईकाईयों में अपनाए नहीं गए थे और 68 प्रतिशत ईकाईयों ने प्रचालन की सहमति प्राप्त नहीं की थी। वायु अधिनियम तथा जल अधिनियम के अन्तर्गत सहमति का आवधिक नवीकरण क्रमश: 15 ईकाईयों तथा 16 ईकाईयों में प्राप्त नहीं किया गया था। (पैरा 2.1.1)*

- *23 कार्यशालाओं तथा 21 शेडों (45 प्रतिशत) जिन्हें प्रचालन की अनुमति दी गई थी, में से 11 कार्यशालाओं तथा 9 शेडों में सहमति से सम्बद्ध शर्तें अधिकांशत: निष्फल रहीं। **(पैरा 2.1.3)***

- *वायु प्रदुषण नियंत्रण उपकरण जैसे आर्द्र मार्जक, धुआं निष्कर्षक, धूल संग्राहक आदि 30 कार्यशालाओं तथा 65 शेडों (69 प्रतिशत) में प्रदान नहीं किए गए थे। उत्पादन ईकाईयों जैसे सीएलडब्ल्यू/चितरंजन और डीएलडब्ल्यू/वाराणसी में नियंत्रण उपकरण चालू हालत में नहीं थे। 23 कार्यशालाओं तथा 21 शेडों, जिन्होंने प्रचालन की सहमति प्राप्त की, में से केवल सात कार्यशालाओं तथा छ: शेडों ने वायु गुणवत्ता जांच की थी। तीन कार्यशालाओं तथा तीन शेडों में वायु गुणवत्ता जांच*

करने में कमी 25 तथा 99 प्रतिशत के बीच थी।

(पैरा 2.2.1 और 2.2.2)

- *शोर स्तर जांच बनाए रखने में भारतीय रेल के अभिक्रम अपर्याप्त थे। 1105 स्थानों में से 387, जहां शोर गुणवत्ता का मानीटर किया गया था, में शोर स्तर सहन सीमा से अधिक था। डीजी सेट वाले 30 कार्यशालाओं तथा 60 शेडों में से सात कार्यशालाओं तथा सत्रह शेडों में चिमनी ऊंचाई निर्धारित ऊंचाई से कम पायी गयी थी। डीजी सेटों में शोर कम करने के ध्वनि अनुलग्नक जांचित केवल 22 कार्यशालाओं तथा 37 शेडों में प्रदान किए गए थे (66 प्रतिशत)।*

(पैरा 2.2.3 और 2.2.4)

- *कार्यशालाओं, शेडों तथा उत्पादन ईकाईयों में ईटीपी के प्रतिष्ठापन के कोई विशेष निर्देश/मार्गनिर्देश नहीं थे। 26 कार्यशालाओं तथा 57 शेडों (नमूना जांचित 60 प्रतिशत ईकाईयों) में ईटीपी उपलब्ध नहीं था। 20 कार्यशालाओं तथा 33 शेडों, जहां ईटीपी प्रदान किया गया था, में से छः कार्यशालाओं तथा दो शेडों मे बहि:स्रावों के स्रोत ईटीपी से नहीं जोड़े गए थे। विसर्जन की गुणवत्ता का केवल सात कार्यशालाओं तथा आठ शेडों में मानीटरन किया गया था। ईटीपी कीचड खुले क्षेत्र में विसर्जित की गई थी जिसके कारण भूजल का संदूषण हुआ था।*

(पैरा 2.2.5)

2.2 संसाधनों का संरक्षण

- *क्षेत्रीय रेलवे द्वारा ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित लक्ष्य प्राप्त करने में कमी का मानीटरन अथवा सुधार कार्रवाई आरम्भ करने के लिए रेलवे बोर्ड स्तर पर कोई प्रणाली स्थापित नहीं है। ऊर्जा लेखापरीक्षा करने और उनकी सिफारिशों को लागू करने के कार्यशालाओं तथा शेडों के प्रयास धीमे तथा अपर्याप्त थे परिणामस्वरूप प्रक्षेपित बचतों की प्राप्ति*

नहीं हुई। सौर ऊर्जा उत्पन्न करने तथा उपयोग करने के कार्यशालाओं तथा शेडों के अभिक्रम नगण्य थे। ऊर्जा संरक्षण साधनों के कार्यान्वयन के कारण बचतों की मात्रा तय करने की कोई प्रणाली नहीं थी। ***(पैरा 3.1, 3.1.1 और 3.1.2)***

- *रेलवे बोर्ड द्वारा स्पष्ट निर्देशों के बावजूद डब्ल्यूआरपी के माध्यम से जल का पुन: चक्रण केवल एक डिपो में प्रदान किया गया था। 13 क्षेत्रीय रेलों में 39 कार्यशालाओं तथा 73 शेडों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली प्रदान नहीं की गई थी। तीन क्षेत्रीय रेलों में पांच कर्यशालाओं तथा तीन शेडों में आरडब्ल्यूएल का प्रावधान किया गया था।*

(पैरा 3.2.1 और 3.2.2)

2.3 अपशिष्ट प्रबन्धन

- *खतरनाक अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबीज) से अनुमोदन केवल 15 कार्यशालाओं तथा 17 शेडों (23 प्रतिशत) द्वारा प्राप्त किया गया था। नमूना जांचित 32 कार्यशालाओं तथा शेडों (78 प्रतिशत) में से 13 कार्यशालाओं तथा 12 शेडों में खतरनाक अपशिष्टों के पूर्ण अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया गया था। केवल नौ कार्यशालाओं तथा तीन शेडों ने खतरनाक अपशिष्टों के प्रहस्तन से सम्बन्धित अपेक्षितविवरणी प्रस्तुत की थी।*

(पैरा 4.1.1 और 4.1.3)

- *खतरानाक अपशिष्ट प्रहस्तन के लिए प्राधिकृत 15 कार्यशालाओं तथा 17 शेडों में से केवल दो कार्यशालाओं तथा दो शेडों में पर्यावरण प्रभाव निर्धारण किया गया था।* ***(पैरा 4.1.5)***

- *अभिलेखों के अनुरक्षण, एसपीसीबीज को विवरणियों के प्रस्तुतीकरण, प्रयुक्त बैटरियों के प्रहस्तन तथा निपटान से सम्बन्धित सांविधिक प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था।* ***(पैरा 4.2)***

2.4 स्वास्थ्य तथा सुरक्षा

- *23 कार्यशालाओं तथा 47 शेडों के संबध में कार्यशालाओं तथा शेडों की विन्यास योजना निदेशक/निरीक्षक फैक्टरियां द्वारा अनुमोदित नहीं थी।* ***(पैरा 5.1)***

- *आठ क्षेत्रीय रेलों की केवल नौ कार्यशालाओं तथा नौ शेडों (13 प्रतिशत) में डाक्टरों द्वारा आवधिक निरीक्षण किया गया था। संस्तुत सुरक्षा साधनों के कार्यान्वयन का मानीटरन सात क्षेत्रीय रेलों में केवल 10 कार्यशालाओं तथा 7 शेडों (12 प्रतिशत) में किया गया था।*

(पैरा 5.2)

3. सिफारिशों का सार

- ***रेलवे बोर्ड के यांत्रिक निदेशालय को कार्यशालाओं, शेडों तथा उत्पादन ईकाईयों में वायु, जल तथा शोर प्रदूषण से संबंधित सांविधिक बाध्यताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी मानीटरन प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है। नियंत्रण उपकरणों के प्रावधान और उनको चालू हालत में रखने को उचित महत्व दिए जाने की आवध्यकता है;***

- ***भूजल के संदूषण से बचने के उद्देश्य से एसपीसीबी/सीपीसीबी द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार ईटीपी कीचड के उचित निपटान हेतु कार्यशालाओं, शेडों तथा उत्पादन ईकाईयों को प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है;***

- ***ऊर्जा संरक्षण साधनों को लागू करने के लिए सुपरिभाषित लक्ष्य तैयार करने की सभी कार्यशालाओं, शेडों तथा उत्पादन ईकाईयों की आवश्यकता है। रेलवे बोर्ड के विद्युत निदेशालय को लक्ष्य प्राप्त करने और लक्ष्य प्राप्त***